

आर.ई.ओ.- 192

क्र. जे.पी.डी./मु.अ.(वाणिज्य)/अधी.अभि.(आर.ई)/प.1201/प्रे. 16 दिनांक 2-4-08

**आदेश**

राज्य सरकार की आज्ञा क्र. प.12(16) उर्जा/04/पार्ट दिनांक 7.03.08 की अनुपालना में कृषि कनेक्शन नीति 2004 (संशोधित 31.03.07) के बिन्दु संख्या 7 में कृषि आवेदको को कृषि कनेक्शनों के मांग पत्र में तुरन्त प्राथमिकता के प्रावधान में बिन्दु 7(IV)(स)(2) के पश्चात 7(IV)(द) निम्नानुसार जोडा जाता है एवं 22 (iii) को संशोधित किया जाता है :-

7(IV) (द)	राष्ट्रीय बाघ रिजर्व पार्क, रणथम्भौर एवं सिरस्का की सीमा से लगे हुए राजस्व गांवों के कृषको को कृषि विद्युत कनेक्शन तुरन्त प्राथमिकता के आधार पर दिये जावेगे। राजस्व सीमा से लगे हुए गांवों का चयन सम्बन्धित जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। यदि इन कृषको द्वारा पूर्व में कृषि कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। राज्य के राष्ट्रीय अभ्यारणों के संरक्षित क्षेत्रों से हटाकर अन्यत्र बसाये गये कृषको को भी प्रति परिवार एक कृषि विद्युत कनेक्शन तुरन्त प्राथमिकता के आधार पर दिया जावेगा। सम्बन्धित जिला कनेक्टर द्वारा अधिकृत पत्र के आधार पर यह सुविधा दी जायेगी।
(22) (iii)	जिन कृषको को कुएं हेतु राज्य सरकार द्वारा जमीन आवंटन हुई है उनका कृषि कनेक्शन स्थानान्तरित सम्बन्धित जिला/पंचायत समिति क्षेत्र में कर दिया जावे। ऐसे स्थानान्तरण पर कृषि भूमि की न्यूनतम स्वामित्व समय-सीमा का बन्धन नहीं लगाया जावे।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से प्रभावी माना जावेगा।

(बी.एल.संग्रवाल)

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-उर्जा सचिव,राजस्थान सरकार,जयपुर ।
- 2-अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,अजमेर विद्युत वितरण निगम लि,अजमेर एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.जोधपुर को उनके द्वारा उक्त तरह के आदेश प्रसारित करने हेतु ।
- 3-निदेशक (तकनीकी/वित्त) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर ।
- 4-मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य/आर.पी.) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर ।
- 5-सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (जयपुर/कोटा जोन, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/कोटा ।
- 6-वित्तीय सलाहकार एवं लेखा नियन्त्रक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर ।
- 7-प्रावेधिक सहायक,प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर ।
- 8-अधीक्षण अभियन्ता (पवस/जे.सी.सी./जेपीडीसी/प्लान/विधि जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. ।
- 9-प्रावेधिक सहायक,राज्य मंत्री,उर्जा विभाग,विद्युत भवन,जयपुर ।
- 10-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.(राम बाग सर्किल)जयपुर ।
- 11-मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी ( ) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर ।
- 12-अधिशासी अभियन्ता(पवस/ /ग्रिवीन्सेज/एमआईएस) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.
- 13-विशिष्ट सहायक,सलाहकार (एम), मुख्य मंत्री,सचिवालय,राज0 सरकार,जयपुर. ।
- 14-जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर ।
- 15-निजी सचिव, मा0 उर्जा मंत्री,राजस्थान सरकार,जयपुर को मा0 उर्जा मंत्री के सूचनार्थ ।
- 16-निजी सहायक,अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,राज0 राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि.,जयपुर को मा0 अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के सूचनार्थ ।
- 17-निजी सहायक,प्रबन्धक निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर को मा0 प्रबन्ध निदेशक के सूचनार्थ ।
- 18-कम्पनी सचिव, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि./राज0राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि.जयपुर
- 19-इन्चार्ज,कन्दोल रूम मुख्य अभियन्ता (जयपुर जोन) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि,जयपुर।

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)